न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 133 / 2025 निर्णय दिनांकः 16.04.2026

ऑनलाईन नम्बर 2025 / 266

मन्दिर श्री जसनाथजी महाराज, कल्याणसर जरिये पुजारी बन्नानाथ पुत्र ज्ञाननाथ जाति सिद्ध निवासी झंझेऊ हाल पुजारी जसनाथजी मन्दिर, कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ।

—प्रार्थी—

बनाम

1. आसूराम 2. डूंगरराम 3. तोलाराम 4. सुरजाराम 5. किशनाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति जाट निवासीगण ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मन्दिर श्री जसनाथजी महाराज कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ शाश्वत नाबालिक है। मन्दिर का समस्त कार्य जरिये पुजारी ही होता है। कल्याणसर स्थित जसनाथजी के मन्दिर का पुजारी प्रार्थी बन्नानाथ पुत्र ज्ञाननाथ है। ग्राम कल्याणसर में डोली मन्दिर श्री जसनाथजी के नाम से एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 429 तादादी 1.0600 हैक्टेयर गैरमुमकिन स्थित है। मन्दिर की डोली के रूप में स्थित इस खसरा भूमि में नया मन्दिर सिद्ध समुदाय की ओर से बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में तो मन्दिर छोटा है, श्रद्धालु मन्दिर में खसरा नम्बर 428, 427 में से आते रहे है व श्रद्धालु पैदल ही आते है। मन्दिर तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 428 तादादी 4.7800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 427 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही कल्याणसर में से होकर मन्दिर तक पहुचने के लिये रास्ता की आवश्यकता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 428 तादादी 4.7800 हैक्टेयर है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 427 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही कल्याणसर में स्थित है। खसरा नम्बर 428, 427 मौके पर एकल है, खसरा नम्बर 428 के खातेदार के पिता पूर्णाराम के नाम से व खसरा नम्बर 427 की खातेदारी अप्रार्थीगण की माता तुलछी के नाम रही है। दोनो खसरान की भूमि मौके पर एकल है। खसरा नम्बर 427 में से एक कट्टाणी रास्ता गांव ऊपनी से लिखमीसर जाता है। इस कट्टाणी रास्ता से फंटकर ही एक रास्ता खसरा नम्बर 427, 428 में से होता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 429 तक जाता है। इस रास्ता की लम्बाई 200 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 429 में आवागमन हेतु और कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी के खेत में जाने हेतु खसरा नम्बर 428, 427 में से होकर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। खसरा नम्बर 427 में से जाने वाले कट्टाणी मार्ग ऊपनी से लिखमीसर में से फंटकर एक रास्ता खसरा नम्बर 428 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 429 तक जाता है, जिसकी लम्बाई 200 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। इस रास्ता को नजरी नक्शा में C से D दर्शाया गया है। नजरी नक्शा में A से B ऊपनी से लिखमीसर जाने वाले रास्ता दिखाया गया है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु और कोई रास्ता नही है । प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन नहीं होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा भविष्य में भी हो सकती है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता का अंकन नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जब चाहे रास्ता में अवरोध पैदा कर देते है या कर सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने दिनांक 28.06.2025 को रास्ता बन्द करने की धमकी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दी है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 428 तादादी 4.7800 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 4.7800 हैक्टेयर रोही कल्याणसर जो मौके पर एकल है, में से लिखमीसर से ऊपनी कट्टाणी मार्ग से फंटकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 429 तक पहुंचने हेतु 200X5 मीटर कुल 1000 वर्गमीटर है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को रास्ते के क्षेत्रफल के नियमानुसार सरकारी डीएलसी रेट से दुगनी कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी के खेत में जाने का यही एकमात्र रास्ता है, जो अत्यन्त ही आवश्यकता का रास्ता है, इसलिये प्रार्थी ने कम से कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की है। रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 429 तादादी 1.0600 हैक्टेयर रोही कल्याणसर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 428 तादादी 4.7800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 427 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही कल्याणसर में से खसरा नम्बर 427 में जाने वाले कट्टाणी मार्ग ऊपनी से लिखमीसर में से फंटकर खसरा नम्बर 427, 428 में से होकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 429 तक 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 6 को फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 बावजूद रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 428 में गुजर रही डामर सडक कल्याणसर से लिखमीसर उतरादा से गुजरने वाल रास्ते से खसरा नंबर 428 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ गुजरने वाले रास्ते जिसकी लम्बाई 228 मीटर तथा चौडाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1140 वर्गमीटर है को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खेत खसरा नंबर 428 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या के 1 ता 4 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 428 में से 1140 वर्गमीटर भूमि रास्ते में उपयोग मे ली जायेगी। जिसका डी.एल.सी. दर 858000/प्रति हैक्टेंयर से दुगनी प्रतिकर राशि 195624/–रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खेत खसरा नम्बर 428 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)